

पत्रांक-----42(HS)-----/2021

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग।

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी सिविल सर्जन

पटना, दिनांक 15 मार्च, 2021

विषय : कतिपय राज्यों में कोविड 19 के बढ़ते मामलों एवं आसन्न होली त्योहार के दृष्टिगत कोविड 19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक निदेश के संबंध में।

महाशया/महाशय,

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 15-03-2021 को बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए -

1- सभी एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब राज्यों से आनेवाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड 19 निगेटिव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति दी जाए। यदि कोई यात्री कोविड 19 के प्रमाण पत्र के साथ नहीं है तो उनकी जांच Rapid Antigen के माध्यम से तत्क्षण कराया जाए और कोविड 19 के जांच के फलाफल के आधार पर Isolation के संबंध में निर्णय लिया जाए। यह व्यवस्था दिनांक 17-03-2021 से लागू की जायेगी। अन्य राज्यों से आनेवाले यात्रियों का भी Random Basis पर जांच करायी जायेगी। इस आशय की सूचना विभिन्न एयरलाइन्स के माध्यम से दिनांक 17-03-2021 एवं उसके पश्चात आनेवाले यात्रियों तक पहुंचायी जाए।

2- इन राज्यों से आनेवाले ट्रेनों के संबंध में भी दैनिक रूप से सूचना प्राप्त कर इन ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की Rapid Antigen kit के माध्यम से Randomly जांच करायी और फलाफल के आधार पर उचित निर्णय लिया जाए।

- 3- जिन पंचायतों में भारी संख्या में अन्य राज्यों से यात्री आये हैं उन पंचायतों में माईकिंग के माध्यम से कोविड 19 की जांच की अपील की जाए तथा RTPCR जांच हेतु सैम्पल लेने की व्यवस्था भी करायी जाए। इस कार्य हेतु स्वास्थ्य विभाग के कर्मी गण तथा पंचायत प्रतिनिधियों की मदद ली जाए।
- 4- कोविड 19 पोजिटिव केस पाये जाने पर माईक्रो कंटेनमेंट जोन गठित किया जाए एवं इस संबंध में पूर्व से निर्गत निदेशों के आलोक में शत-प्रतिशत जांच एवं अन्य अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।
- 5- जिलों में स्थापित किये गये कोविड केयर सेन्टर एवं Dedicated Covid Health Centre की readiness एवं उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन करा लिया जाए तथा इसे Ready Mode में रखा जाए।
- 6- आसन्न होली त्योहार में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किये जायेंगे। कृपया इसे सुनिश्चित किया जाए।
- 7- सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात साधनों में Social Distancing तथा Mask के प्रयोग हेतु निर्गत आदेशों को सख्ती से लागू कराया जाये।

विश्वासभाजन,
15/3/2021
(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक- 42 (HS)

पटना, दिनांक 15 मार्च, 2021

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति / आरक्षी, महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/2021
(प्रत्यय अमृत)